संख्याः–शिक्षा–एच (21)ए(1)13/2019–विविध–वोल–II
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक शिमला जून, 2020

15 JUN 2020

सेवा में

समस्त उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश

विषय :– सरकारी/निजी स्कूलों में बच्चो को 25 प्रतिशत आरक्षण दिलाने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान निदेशक (डब्लयू.सी.डी) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या सी.पी.सी.आर.–ए(4)–27/2016–296–297 दिनांक 21.03.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकर्षित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यो/मुख्याध्यापको को आगामी दिशा निर्देश जारी करें कि सभी स्कूलों में आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/गरीबी रेखा से नीचे एवं दिव्यांग वर्गों के बच्चों के दाखिले में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में सभी निजी स्कूलों में नए दाखिले किये जा रहे हैं इसलिए सभी अभिभावकों को व्यापक प्रचार/विज्ञापन पत्रक (Pamphlets) अथवा अन्य संचार माध्यमों से जागरुक करने की आवश्यता है। ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गों के छात्रों को दाखिले में 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सभी स्कूलों में सुचना पटट् पर बडे अक्षरों में यह सूचना चिन्हित करने के अतिरिक्त स्कूल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में भी इस आरक्षण का उल्लेख किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रोस्पेक्टस में भी इसका विवरण मुद्रित किया जाए और दर्शनीय/प्रसिद्ध स्थानों पर भी इस हेतु विज्ञापन लगाए जाएं ताकि इसका व्यापक प्रचार हो सके।

सभी स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये जायें। यदि स्कूलों में सूचना पटट पर बडे अक्षरों में यह सूचना चिन्हित न करने के संबन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो स्कूल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ0 अमरजीत के शर्मा)
निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

पृष्ठांकन संख्याः- शिक्षा जी 2 आर (बिबद)/2018-578 दिनाक. 24-6-2020 ऊना
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक / रा०व०मा०पा० / रा०ऊ०पा० / निजि पाठशालाऐ जिला ऊना (हि०प्र०) को सूचना तथा आवश्यक कार्यावाही हेतू प्रेषित है ।

शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर)
ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

सी.पी.सी.आर.–ए(4)–27/2016-- 296-297
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज–3,
न्यू शिमला–171009

सेवा में,

निदेशक,
प्राथमिक/उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,
लालपानी, शिमला–171001

दिनांकः शिमला–171009, 21 मार्च, 2020

विषयः– सरकारी/निजी स्कूलों में बच्चों को 25% आरक्षण दिलाने के बारे में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराया जाता है कि आयोग ने प्रदेश में विभिन्न स्कूलो का निरीक्षण किया है जिनमें अधिकतर स्कूलों में यह पाया गया है कि बच्चों एवं अभिभावकों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि सभी स्कूलों में आरक्षित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/गरीबी रेखा से नीचे एवं दिव्यांग वर्गों के बच्चों के दाखिले के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान है। इस हेतु, निरीक्षण के दौरान आयोग ने स्कूल प्रशासनों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन आयोग की जानकारी के अनुसार, इसका लाभ संबंधित वर्गों के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र इस लाभ से वंचित रह रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाना चाहिए। चूंकि वर्तमान में सभी सरकारी/निजी स्कूलों में नए दाखिले किए जा रहे हैं, इसीलिए सभी अभिभावकों को व्यापक प्रचार/विज्ञापन पत्रक (Pamphlets) अथवा अन्य संचार माध्यमों से जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गों के छात्रों को दाखिले में 25% आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित हो सके। इस हेतु सरकारी एवं निजी विद्यालयों के सूचना पट्ट पर बड़े अक्षरों में यह सूचना चिन्हांकित करने के अतिरिक्त स्कूल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में भी इस आरक्षण का उल्लेख किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रोस्पेक्टस में भी इसका विवरण मुद्रित किया जाए और दर्शनीय/प्रसिद्ध स्थानों पर भी इस हेतु विज्ञापन लगाए जाएं, ताकि इसका व्यापक प्रचार हो सके। इस हेतु तैयार किए जाने वाले विज्ञापन का एक नमूना आयोग को भी अवलोकनार्थ भेजा जाए।

भवदीय,

निदेशक (डब्ल्यू.सी.डी.) एवं सदस्य सचिव,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
हिमाचल प्रदेश

Genl
Sh. Basudev & Jagdish
3/6/20